

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 05/2024 (धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री दिनेश कुमार पांचाल पुत्र श्री बाबूलाल पांचाल, निवासी श्यामपुरा कला, तहसील लालसोट, जिला
दौसा हाल कार्यकर्ता मैसर्स शिवम मोटर्स, अक्षयपात्र तिराहा, प्रताप नगर, जयपुर।

अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के
तहत जब्त शुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को साजसात (Confiscate)
करने बाबत ।



निर्णय

दिनांक 03.12.2024

- संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के अवैध रिफिलिंग की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक 24.01.2024 को मैसर्स शिवम मोटर्स अक्षयपात्र तिराहा, प्रताप नगर जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी वाहनो में अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6-ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6-ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 06.02.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं।
- बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
- प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैसर्स शिवम मोटर्स अक्षयपात्र तिराहा, प्रताप नगर जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी वाहनो में अवैध रिफिलिंग करना पाया गया है। मौके पर मैसर्स हीराजी गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बदीनारायण को साल्टर


जिला कलक्टर
जयपुर




मशीन के साथ बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर में खाली पाया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर बावत न तो कोई वैद्य दस्तोवेज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद की बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.01.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी वाहनो में अवैद्य रिफिलिंग करना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा फर्म पर रखे हुये सिलेण्डर में एल.पी.जी. का स्थानान्तरण किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. वाहनो में गैस स्थानान्तरण का कार्य किया जाता है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 06.02.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ाइल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।



10. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर